कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1886/12–1, दिनांक मसूरी 25–11–2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
नई, टिहरी।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुनाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.3250 किमी0) के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/23941/2017 दिनांक 03–02–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव दि0 11–11–2017 को आनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। किन्तु आतिथि तक भी आप द्वारा प्रस्ताव की दो हार्ड प्रति मय सी0डी0 इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी। आपके स्तर से प्रस्ताव की दो मूल प्रति उपलब्ध न कराये जाने की दशा में आनलाईन प्रस्ताव की जॉच /परीक्षण में अनावश्यक बिलम्ब हो रहा है। इस कार्यालय के पत्र सं0 524/12–1, दिनांक 5–8–2015 द्वारा प्रकरण आपको इस आशय से लौटाया गया था कि पत्र में इंगित कमियों का निराकरण करते हुए परिपूर्ण प्रस्ताव आनलाईन अपलोड किया जाय। आपके द्वारा अपलोड प्रसताव के भाग–I की आनलाईन जॉच /परीक्षण में निम्न कमियां पायी गयी जो निम्नवत् है:–

1. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के K (a) में अपलोड वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्गत (प्रपत्र–30) Form-I, (प्रपत्र–30.2) तथा (प्रपत्र–30.1) Form-II, अनापत्ति प्रनाण–पत्रों में जिला स्तरीय बैठक (Meeting date) की तिथि अंकित नहीं है। कृपया वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में सक्षम स्ता से जिला स्तरीय बैठक (Meeting date) की तिथि अंकित कराते हुए वांछित अभिलेख पुनः यथास्थान आनलाईन अपलोड किये जायं।
2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 वन भूमि के बदले दुगने वांछित 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना के अन्तर्गत विभिन्न 6 खसरा न0 की जिस सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है, (कुल 6.49 अर्थात 4.165है0) वह अनवरत न होकर छोटे–छोटे टुकडों में बिखरी है (जैसा कि गूगल मानचित्र, डिजीटल एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है)। ऐसे क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना अव्यवहारिक तो है ही, साथ ही वनीकरण की सुरक्षा के दृष्टिगत भी उपयुक्त नहीं है।

प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित 4.165है0 सिविल भूमि का एक खण्ड में होना तकनीकी, व्यवहारिक एंव वनीकरण की सफलता /सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। आपके द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि के बदले दुगने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु चयनित क्षेत्र /क्षेत्रों के डिजीटल मानचित्र (Polygon /closed area) तथा Geo-refrence map जो आपके द्वारा आनलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है वांछित कार्यवाही हेतु आनलाईन वापस लौटायी जा रही है।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की दो हार्ड प्रति (मूल में) मय सी0डी0 इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रस्तावित मोटर मार्ग जैसे जनहित कार्य से सम्बन्धित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक 1886 /12-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्न को उक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी